



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221566
CG-DL-E-05092020-221566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2678]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942

No. 2678]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

का.आ. 3010(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के कि.मी. 143 से कि.मी. 143 तक में क्षतिग्रस्त लघु आर्च पुल के प्रतिस्थापन सहित निर्माण (चौड़ीकरण/पेब्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर भागलपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के कि.मी. 143 से कि.मी. 143 तक में क्षतिग्रस्त लघु आर्च पुल के प्रतिस्थापन सहित निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: भागलपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सबौर					
गांव का नाम: मसाढ़ (थाना न0 41)					
1	331	अन्य(रैयती)	रेजिडेंशियल	0.0161800(हेक्टेयर)	0.0161800
कुल				0.0162	0.0162

[फा. सं. RW/PAT/NH/80/KM/143/MASHRU BRIDGE/2018/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2020

S.O. 3010(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 80, in the stretch of land from Km 143 to Km. 143 of the National Highway No. 80, for replacement including construction of one damaged minor arch bridge in district Bhagalpur in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the DCLR, Sadar Bhagalpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land of National Highway No. 80 from Km 143 to Km. 143 for replacement including construction of one damaged minor arch bridge in district Bhagalpur in the State of Bihar.

State: BIHAR		District: BHAGALPUR			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sabour					
Village: Masarhu (Thana No 41)					
1	331	Common(Raiyati)	Residential	0.0161800(Hectare)	0.0161800
Total				0.0162	0.0162

[F. No. RW/PAT/NH/80/KM/143/MASHRU BRIDGE/2018/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.